

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-247/2017

34

1. विकास कुमार पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी।
2. विनय कुमार पुत्र सरजीत जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी।

-वादीगण

राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार 2017

कैम्प... 2 वार 2 वार

बनाम

1. सरजीत पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी।
2. कौशल्या पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाष चन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत के नाम से दर्ज आराजी में से- (क)-वादी संख्या 1 विकास कुमार को प्राप्त आराजी-चक नं.3 सीडीआर के खाता संख्या 120/100 के प.नं.226/223 मु.नं.30 कि.नं. 1 ता 3 /0.759,8 ता 13/1.518 है. कुल 2.277 है। (ख)-वादी संख्या 2 विनय कुमार को प्राप्त आराजी-चक नं.3 सीडीआर के खाता संख्या 120/100 के प.नं. 226/222 मु.नं.23 कि.नं. 18,19/0.506,21 ता 23/0.759,प.नं. 225/227 मु.नं. 29 कि.नं. 4,7,14,15/1.012 है. कुल 2.277 है। (ग)-प्रतिवादी 1 सरजीत को प्राप्त आराजी- चक नं.3 सीडीआर के खाता संख्या 120/100 के प.नं. 225/223 मु.नं. 29 कि.नं. 5,6/0.506 प.नं. 225/222 मु.नं. 24 कि. नं. 24,25/0.506 है कुल 1.012 है।

उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन कर चक नं.3 सीडीआर के खाता संख्या 120/100 में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा उपरोक्तानुसार कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक हित सुरक्षित रखते हुवे उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 14.7.2017 अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 14.7.2017 को राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खाराखेड़ा में जारी किया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

